न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 91 / 2020

बजरंगसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

वादी

बनाम

1. उम्मेदसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर झुझुनू
2. कैलाश कवंर पत्नी गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर झुझुनू
3. रेण कवंर पुत्री गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर झुझुनू
4. सुनिता कवंर पुत्री गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर झुझुनू

प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक 11.05.2022

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम डाबड़ी धीरसिंह की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 748 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 कुआं अवस्थित है। इस जमीन पर पुख्ता चाह में विद्युत कनेक्शन वादी के पिता के नाम से है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा तथा वादी का 1/3 हिस्सा है। ख0न0 748 का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 उक्त सामलाती कृषि विद्युत कनेक्शन अन्य जगह स्थानान्तरित करने पर आमदा है। अंत में वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि जमीन हाल ख0न0 748 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 कुआं में स्थित कृषि विद्युत कनेक्शन को अन्य जगह पर स्थानान्तरित नहीं करें तथा मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 748 रकबा 0.01 है0 के संबंध में पृथक से एक दावा वाद संख्या 08/2021 उनवानी उम्मेदसिंह बनाम बजरंगसिंह आदि बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें वादी उम्मेदसिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि ख0न0 748 रकबा 0.01 है0 में अपने 1/3 हिस्से की भूमि का पृथक से विभाजन कर अलग खाता करने का अनुतोष चाहा गया है। साथ में कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 बजरंगसिंह वादग्रस्त भूमि पर बने हुये कुयें में स्थित कृषि कनेक्शन को अन्य स्थानान्तरण करवाने पर आमदा है जिसके लिये उसे स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जावे।

दोनो प्रकरणों की वादप्रकृति समरूप होने से दोनो प्रकरणों को समेकित किया जाकर संयुक्त रूप से पत्रावली पर विचारण किया गया। सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा पृथक से प्रस्तुत वाद पत्र जिसमें उम्मेदसिंह द्वारा ख0न0 748 रकबा 0.01 है0 का विभाजन चाहा गया है, राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 कुआं के रूप अभिलिखित भूमि का विभाजन चाहने से कानून में गै0मु0 कुआं के विभाजन का प्रावधान नहीं होने से विभाजन का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। दोनो वादपत्रों में एक बिन्दु पर एकसमरूता है वह यह है कि दोनो पक्षो द्वारा यह कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 748 पर बने कुएं पर स्थित विद्युत कनेक्शन को दोनो पक्ष अन्यत्र स्थानान्तरण करना चाहते है इसलिये दोनो पक्षों को पांबद किया जावे। दोनो प्रकरणों में तीसरा पक्ष प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का है, जिसका संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि एवं उस पर बने कुएं व विद्युत कनेक्शन पर 1/3 हिस्सा है। परन्तु

...य पक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है ना ही दोनो वाद पत्रों में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित हुये है। दोनो वादपत्रों की प्लीडिंग मे वाद कारण का बिन्दू विद्युत कनेक्शन है जिसे अन्यत्र स्थानान्तरण एवं उसके उपयोग उपभोग को लेकर है। इस बिन्दू पर तीनों पक्षकार प्रभावित है और इसी बिन्दू पर पक्षकारान के मध्य सामंजस्य स्थापित कर तीनों पक्षों के न्यायिक हितों को ध्यान में रखते हुये विधि अनुरूप कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। चूंकि प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी मतभेद है जिसके कारण उक्त वाद कारण पैदा हुआ है। आज दिनांक 11.05.2022 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित आये। दोनो पक्षों के अधिवक्तागण उपस्थित आये। पत्रावली का अवलोकन वाद कारण के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुना गया। दोनो पक्षों द्वारा सुनवाई के दौरान भी विवादित भूमि पर बने हुये पर स्थित विधुत कनेक्शन को अन्यत्र स्थानान्तरण करने तथा उसके उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने का आरोप एक दुसरे पर लगाया गया। दोनो पक्षों के मध्य आपसी विवाद के बिन्दु पर दोनो पक्षों के मध्य समझाईश की गई। समझाईश पर दोनो पक्षों के मध्य निम्न बिन्दूओं पर सहमति बनी :–

1. खसरा नम्बर 748 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 कुआं पर स्थित विद्युत कनेक्शन को कोई पक्षकार अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं करेगा।
2. खसरा नम्बर 748 रकबा 0.01 है0 में कुऐ पर विद्युत कनेक्शन के कृषि/धरेलु (पीने के पानी हेतु) कार्य में अपने–अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग में लेने पर कोई पक्षकार व्यवधान पैदा नहीं करेगा।
3. कुऐं एवं इसके आस–पास बने गुमटी, ढ़ाणा एवं अन्य किसी प्रकार के पूर्व में निर्मित संरचना का उपयोग उपभोग में लेने हेतु कोई पक्षकार व्यवधान पैदा नहीं करेगा।
4. कुऐं का उपयोग कृषि कार्य में लेने हेतु कुऐं से अपने–अपने खेत खसरा नम्बरान तक जमीन से न्यूनतम 3 फीट गहराई में पाईप लाईन डालकर उपयोग करेगा।
5. कुऐं तक आने–जाने में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा नहीं किया जावेगा।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुई सहमती के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। चूंकि सहमती के बिन्दु तृतीय पक्षकार के न्यायिक हितों के अनुरूप है। सहमती के बिन्दुओं से तृतीय पक्षकार के न्यायिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः समस्त पक्षकारान को उक्त बिन्दुओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुई सहमती के मध्यनजर ग्राम झाबड़ी धीरसिंह स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 748 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 कुआं के संबंध में सहमती के बिन्दुओं के आधार पर दावा डिक्री किया जाता है तथा समस्त पक्षकारान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि के उपयोग उपभोग के संबंध में सहमती के बिन्दुओं की पूर्ण पालना करें, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/5/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर